समाहरणालय, मधुबनी
(जनगणना कोषांग)
अल्पकालीन निविदा सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 158555, दिनांक– 02.08.2013 द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)- 2011 की अंतिम सूची के प्रकाशन हेतु प्रगणित डाटा का मुद्रण जिला स्तर पर कराये जाने का निदेश हैं। इस आलोक में जिला जनगणना कोषांग, मधुबनी द्वारा अंतिम सूची के मुद्रण हेतु दिनांक– 30.04.2015 को 01:00 बजे अपराह्न तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई थी, किंतु अपरिहार्य कारणवश इसे रद्द कर संशोधित रूप में निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) - 2011 **की अंतिम सूची के प्रकाशन हेतु प्रगणित डाटा का तीन सेट में मुद्रण हेतु** दिनांक– 01.08.2015 **के 01:00 बजे अपराह्न** तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक जिला जनगणना कोषांग, मधुबनी में जमा किया जा सकता है। निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। इस अवसर पर निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा का विस्तृत विवरणी/DVD का अवलोकन किसी भी कार्यालय दिवस में किया जा सकता है अथवा www.madhubani.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(क) निविदा की तकनीकी शर्तेः–

1. फर्म को **बिहार वाणिज्य कर एवं आय कर विभाग** से कम से कम तीन वित्तीय वर्ष पूर्व से निबंधित होने अथवा/और स्वच्छता प्रमाण–पत्र/रिटर्न संलग्न करना होगा।
2. फर्म को विगत तीन वित्तीय वर्ष (2012–13, 2013–14, 2014–15) का C A द्वारा **audited balance sheet** संलग्न करना होगा। फर्म का न्यूनतम 25 लाख का turn over होना चाहिए।
3. फर्म को **सेवा कर** एवं **Bihar Shop and Establishment Act** तथा **उद्योग केन्द्र** के अधीन निबंधित होना चाहिए।
4. जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय **25,000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)** का राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. फर्म के **काली सूची में दर्ज नही** होने संबंधी शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।

(ख) निविदा की वित्तीय शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
2. **मुद्रण प्रत्येक पन्ना के दोनों ओर करना होगा। इसे राजस्व ग्राम वार मजबूती से कूट से बांधना होगा तथा इसकी पेजिंग भी की जायेगी।**
3. प्रपत्र की छपाई में प्रयुक्त कागज **A- 4 size, GSM- 70mm, milky white** होना चाहिए। छपाई का इंक गाढ़ा होना चाहिए। इसका एक **नमूना** संलग्न करना होगा।
4. सभी कार्यों का **विभिन्न करों सहित दर अलग–अलग** अंकित करेंगे।
5. सफलतां पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित सभी करों की कटौती कर ली जायेगी।
6. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नही होने पर प्रति दिन विलंब के लिए 10,000/– (दस हजार रूपये) की दर से दंडात्मक कटौती की जायेगी। एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
7. **ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से आवंटन प्राप्त होने पर निविदा द्वारा किये गये कार्यों** का भुगतान किया जायेगा।
8. **अंतिम भुगतान के पूर्व क्रय समिति द्वारा किये गये कार्यो की गुणवत्ता/मात्रा/विशिष्टियों** का सत्यापन/जांच की **जायेगी।**
9. सामग्रियों की आपूर्ति जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला मुख्यालय के अतिरिक्त निर्धारित प्रखंडों में भी की जायेगी।

(ग) निविदा की सामान्य शर्तेः—

1. कार्य संपादन जिला पदाधिकारी के पूर्ण नियंत्रण में करना होगा। इसे जिला मुख्यालय में संपादित किया जायेगा।
2. उपरोक्त शर्तो के अलावा समय–समय पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा।
3. आवंटित कार्य के sub- contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नही दी जायेगी। इस आशय की under taking समर्पित करना होगा। यदि इस शर्त का उलंघन पाया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए जमानत की राशि को जब्त कर फर्म को काली सूची में डालते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. मुद्रण के क्षेत्र में **पूर्व अनुभव प्राप्त फर्म** को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. इस निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य का निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

अति0 जिला जिला ~~SECC~~ पदाधिकारी, मधुबनी।	जिला SECC पदाधिकारी, मधुबनी।	20/7/15 जिला पदाधिकारी–सह–मुख्य SECC पदाधिकारी, मधुबनी।

ज्ञापांक 1409 /जि0जन0को, दिनांक– 20/7/15

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को उक्त निविदा की सात प्रतियां, सी0डी0 सहित भेजते हुए अनुरोध है कि किसी दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में अविलंब प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ✓जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सूचनायें मधुबनी जिला की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20/7 अति0 जिला जिला SECC पदाधिकारी, मधुबनी।	जिला SECC पदाधिकारी, मधुबनी।	20/7/15 जिला पदाधिकारी–सह–मुख्य SECC पदाधिकारी, मधुबनी।